

17.5.18

पत्रावली खास कॅम्प कोर्ट केड में पेरा हुकी नं. 4 के हीशान लक्ष्मी लक्ष्मण उदयपुरवादी को रिपोर्ट नं. 75, 76 रिपोर्ट अनुसार आवेदन की स्वातंत्र्य भूमि ख. नं. 75, 76 है जिसमें आगे जाने के लिए पास में स्थित ख. नं. 78 सरकारी भूमि में से शस्ता भौके पर - चालू है। पत्रावली का संबंध प्रस्तुत रिपोर्ट का आवेदन किया गया आवेदन ने अ. 44 की स्वातंत्र्य भूमि ख. नं. 75, 76 ग्राम कीरपुरा स्थित में आगे जाने के लिए अप्रार्थन के भूमि ख. नं. 73, 74 में से शस्ता - चाहा है जो संलग्न नथरी नक्शा में बिन्दु A के बी दर्शाया गया है। लक्ष्मी लक्ष्मण उदयपुरवादी द्वारा प्रकथन में दिनांक 17.5.18 को आंखिल शस्ते का भौका किराई किया गया प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उ. प्रार्थी की स्वातंत्र्य भूमि ख. नं. 75 व 76 में जाने वाले ख. नं. 78 शालकीय भूमि में से शस्ता उपलब्ध है।

उक्त विवेचन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आर्चना पत्र नं. 251 (क) श. का. श. साक्षित नहीं होने तथा प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु आवश्यक शस्ता होने के कारण अ. श्वारिण किया जाया उचित व न्यायोचित प्रतिक्रिया है।

उद्देश

आर्चना पत्र नं. 251 (क) श. का. श. साक्षित नहीं होने के श्वारिण किया जाया है।

पत्रावली फंसल नुमांर लेकर नं. 202 से का हो लया. हाशिल करत हो।

दिनांक 17.5.18 को कॅम्प कोर्ट केड में सुनाया गया।